

पंजीकृत पावती
भारतसरकार
खानमंत्रालय
भारतीयखानब्यूरो
क्षेत्रीयखाननियंत्रककार्यालय
कर्मयोगीभवन, चतुर्थमाला, ब्लॉक-2, सीविंग,
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010



उल्लंघन पत्र
Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of Regional Controller of Mines
Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, C Wing,
Sec10A, Gandhinagar, Gujarat-382010

Tel- 079 29750358 /29750359; ई-मेल/ E-mail:ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावलीसंख्या: MCDR-MIFL0LST/205/2022-GNR-IBM_RO_GNR

Mine code: 38GUJ21057

दिनांक: 29.12.2023

ID-196/23

सेवामें:

Gogan Bhai Bhutiya

6th floor, Ashwamegh

Appartment 4- Wadi plot,
Porbandar

e mail:-gjbhutiya@gmail.com

Mobile: 8320792939, 7600282555

विषय: गुजरात राज्य के जिला: पोरबंदर की तालुका-राणावाव में स्थित आपकी राणावाव चूना पत्थर खदान, क्षेत्रफल- 2.0 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का रिव्यू खनन योजना निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 04.09.2023 को श्री गोगन भाई भुटिया, प्रबन्धक, और चंद्र मौलेशवर द्विवेदी, भूवैज्ञानिक की उपस्थिति में किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया-

नियम सं.	उल्लंघनों के प्रकारों का विस्तृत ब्यौरा
28(1)	According to this rule, the holder of a mining lease shall send to the authorized officer, a notice in Form-E when the mining operations in the mine or part thereof are discontinued for a period exceeding ninety days so as to reach them within one hundred and twenty days from the date of such temporary discontinuance. In your case, mining operations have been discontinued from long time. No such notice in Form-E has been sent till date.

०२. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
०४. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अति शीघ्र सुधार कर इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से ४५ (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।
०५. यह उल्लंघन पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।


भवदीय

सुनील कुमार शर्मा
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि (मूल पर नही) -

१. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
२. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, खण्ड- १, सप्तम तल, उद्योग भवन, गांधीनगर -सूचनार्थ प्रेषित।
३. रक्षित पत्रावली।

भवदीय



सुनील कुमार शर्मा
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

ठारी किया/Issued

02-1-24